

म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

कमांक/बी-1/2/अ-4/24/701

भोपाल दिनांक 03/11/06

आदेश

म० प्र० कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 26 (2) सहपठित धारा 81 (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, संचालक मंडल बोर्ड की 103 वीं बैठक दिनांक 07.10.06 के अतिरिक्त प्रस्ताव कमांक-08 में पारित निर्णय के अनुपालन में कार्यालयीन परिपत्र कमांक-मंडी/6/अ/स्था./सेटअप/89/186-89 दिनांक 01.02.89 को एतद् द्वारा निरस्त करते हुए राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम-1998 के विनियम 05, 06, के अन्तर्गत निम्न अनुसूचियों में (म० प्र० मंडी बोर्ड के लिये) निम्नानुसार संशोधन स्थापित किया जाता है :-

अनुसूची-2

मण्डी समितियों में "राज्य मण्डी बोर्ड सेवा" के नवीन वर्गीकरण के आधार पर पदों की स्थिति :-

क.	मंडी श्रेणी	की	सचिव			मंडी निरीक्षक	लेखापाल	सहायक उपनिरीक्षक
			अ	ब	स			
1	क		01			09	01	19
2	ख			01		04	01	17
3	ग				01	03	01	12
4	घ				01		01	05

नोट :-1. प्रत्येक उपमंडी प्रांगण के लिए 01 मंडी निरीक्षक तथा 02 सहायक उपनिरीक्षक अतिरिक्त रूप से रहेंगे।

2. सहायक सचिव के पद विलोपित कर, "क" वर्ग की कृषि उपज मंडी समितियों में सचिव "स" वर्ग का एक पद और जिन "क" वर्ग की मंडी समिति में जिनकी मंडी शुल्क से प्राप्त विगत तीन वर्षों की औसत आय 5.00 करोड़ रुपये से अधिक रही है उन मण्डी समितियों में 02 पद सचिव-स वर्ग के एवं 03 पद मंडी निरीक्षक तथा 07 पद सहायक उपनिरीक्षकों के अतिरिक्त रूप से रहेंगे।

क	पदनाम	श्रेणी	पदों की संख्या	वेतनमान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सचिव-अ प्रवर श्रेणी	प्रथम	09	10000-325-15200	
2	सचिव-अ वर्ग	द्वितीय	28	8000-275-13500	
3	सचिव-ब वर्ग	द्वितीय	99	6500-200-10500	

क	पदनाम	श्रेणी	पदों की संख्या	वेतनमान	अभियुक्ति
4	सचिव-स वर्ग	तृतीय	156	5500-175-9000	
5	मण्डी निरीक्षक	तृतीय	671	4500-125-7000	
6	सहायक उपनिरीक्षक	तृतीय	2644	4000-100-6000	

- नोट :- 01. सचिव-अ प्रवर श्रेणी का पद 5 करोड़ से अधिक आय वाली मण्डियों में रहेगा। यह पद उपसंचालक के पद में अन्तर परिवर्तनीय होगा।
02. सचिव-अ वर्ग का पद सहायक संचालक के पद में अन्तर परिवर्तनीय होगा।
03. सचिव-ब वर्ग के पदों का निर्धारण "ब" एवं "स" वर्ग की मण्डियों को सम्मिलित कर किया गया।
04. सचिव-स वर्ग के पदों का निर्धारण "द" वर्ग की मण्डियों के आधार पर किया गया।

अनुसूची-4

राज्य मण्डी बोर्ड सेवा में सम्मिलित मण्डी समितियों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति का प्रतिशत :-

क	पदनाम	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		अभ्युक्ति
		सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	
1	सचिव-अ प्रवणश्रेणी	-	100	-
2	सचिव-अ वर्ग	25	75	-
3	सचिव-ब वर्ग	-	100	-
4	सचिव-स वर्ग	25	75	-
5	मण्डी निरीक्षक	-	100	-

नोट:- सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु स्वीकृत पदों पर निर्धारित आर्हता के कर्मचारी/अधिकारी उपलब्ध न होने पर उक्त पदों को शासकीय विभागों से प्रतिनियुक्ति पर निर्धारित आर्हता के समकक्ष कर्मचारियों से आवश्यकता अनुसार भरा जा सकेगा।

यह संशोधन आदेश बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 07.10.06 से प्रभावशील होगा।

(एम0 ए0 खान)

प्रबंध संचालक

म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

4

कमांक/बी-1/2/अ-4/24/702

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक माननीय कृषि मंत्री सह अध्यक्ष, मंडी बोर्ड भोपाल।
2. निज सहायक प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड भोपाल।
3. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/मुख्यलेखाधिकारी/मुख्यअभियंता/अधीक्षक यंत्री मंडी बोर्ड मुख्यालय, भोपाल।
5. उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक संचालक (समस्त) मण्डी बोर्ड मुख्यालय एवं आंचलिक कार्यालय भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/सागर/जबलपुर/ग्वालियर/रीवा।
6. अध्यक्ष/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त).....
7. लेखाधिकारी/सहायक संचालक/अनुभाग अधिकारी (समस्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
8. सूचना पटल/आदेश नस्ती/बोर्ड बैठक शाखा।
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रबंध संचालक
म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड 2/11
भोपाल